सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/352 दायर दिनाँक 12.12.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. अलाउदीन पुत्र श्री हनीफ खाँ, उम्र–60साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी बडाबरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पृथ्वी सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र , उम्र– 35साल, जाति–चारण, निवासी–किशनपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. एस.बी.आई., शाखा छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, (उप पंजीयक अधिकारी) जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–
1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 08.01.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी ने प्रतिवादी सं0 1 के पिता रामचन्द्र पुत्र श्री पनेदान से खसरा नमबर 588 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा , 597 रबि 20 बीघा 01 बिस्वा, 598 रकबा 26 बीघा 07 बिस्वा सरहद किशनपुरा (खाटू खुर्द) में से 10 बीघा 16 बिस्वा का बैचाण कर दिया था। जिसकी कीमत कुल रू 47520/– में जरिये रजिस्टर्ड बैचाण दिंनाक 21.6.1995 को खरीद की थी ,तथा वादी ने सम्पुर्ण राशि अदा कर खातेदार रामचन्द्र से खरीद की थी , तब से वादी का खसरा नम्बर 588 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त बिना रोक टोक के चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 के पिता रामचन्द्र ने दिंनाक 21.06.1995 को ही ईकरारनामा वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दिया गया था कि उक्त खसरान की भूमि में से अलाउदीन को बैचाण किया है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त खसरान की भूमि में आज दिन भी वादी ही कब्जा काश्त है तथा वादी ने रजिस्टर्ड बैचाण की प्रति पटवारी को भूलवंश नही दी ,जिससे वादी का नामान्तरण नही चढ सका तथा उक्त भूमि राजस्व खाते में अब विभाजन से प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में आई हुई है। इस कारण केवल मात्र बतौर प्रतिवादी सं0 1 को प्रतिवादी बनाया गया । भूमि रहन होने के कारण प्रतिवादी सं0 2 को व लैण्ड होल्डर होने से तहसीलदार को प्रतिवादी बनाया गया है।

प्राथर्ना वादी निम्नानुसार है :–

(क) खेत खसरा सं0 588 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद किशनपुरा पटवार हल्का खाटू खुर्द की खातेदारी वादी के नाम घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी सं0 1 पृथ्वीसिंह का नाम हटाया जावें।

(ख) खेत खसरा सं0 588 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद किशनपुरा पटवार हल्का खाटू खुर्द में किसी प्रकार का दखल अन्दाजी न तो स्वंय प्रतिवादीगण करें तथा नही अपने किसी एजेन्ट ,प्रतिनिधी आदी से करवावें।

(ग) कि दिगर दादरसी मुफीद वादी अता फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित । अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से तथ्यात्कम विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कि गई। दिनांक 08.01.2017 को प्राप्त रिपार्ट निम्नानुसार है:–

कि ग्राम किशनपुरा के ख0न0 588,569,568 की सन् 1995 में सामलाती खातेदारी थी। जिसमें रामचन्द्र पुत्र पन्ने दान कौम चारण ने अपने हिस्से की भूमि का बैचाण जरिये रजिस्ट्री वादी के नाम दि0 21.06. 1995 में की थी। वर्तमान में ख0न0 588, 569, 568 का बंटवाडा हो जाने से उक्त खसरा नम्बरान् अलग अलग खातेंदारों के नाम हो चुके है। इसी कारण खरीददार का नामा0 दर्ज किया जाना संभव नही है।

वर्तमान में ख0न0 588 रकबा 10.16 बिघा राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 के नाम अंकित है। जबकी मौके पर कब्जा वादी का है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/352
दायर दिनाँक 12.12.2017, निणर्य दिनाँक 08.01.2017
अलाउदीन बनाम् पृथ्वी सिंह, वगैरा।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्तसम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री सादिर किया जाता है।

–ःआदेश ः–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद किशनपुरा खेत खसरा सं0 588 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी वादी अलाउदीन के नाम घोषित कि जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 01 पृथ्वीसिंह का नाम उक्त खसरा के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **08.01.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/352 दायर दिनाँक 12.12.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. अलाउदीन पुत्र श्री हनीफ खाँ, उम्र–60साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी बडाबरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. पृथ्वी सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र, उम्र– 35साल, जाति–चारण, निवासी–किशनपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. एस.बी.आई., शाखा छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, (उप पंजीयक अधिकारी) जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 08.01.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद किशनपुरा खेत खसरा सं0 588 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी वादी अलाउदीन के नाम घोषित कि जाती है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 पृथ्वीसिंह का नाम उक्त खसरा के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–..... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.01.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner